14.12.18

पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट
आगामी पेशी दिनांक 19.12.18
को पेश हो।

21/12/18

बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल
... अभिभाषकगण उपस्थित नहीं।
... अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं
... दिनांक 5.3.19 को पेश हो

20.2.19

वादी अभिभाषक की ओर से प्रा.पत्र पेश होने पर पत्रावली पेशी से ली गई राजीनामा होने से बहस अंतिम का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 22.2.19 को पेश हो।

22.2.19

उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25.2.2019 को पेश हो।

25.2.19

पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।
आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम् एसडीएम, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस.

वाद सं.: 387/2018

नानकराम पुत्र स्व. जोराराम जाति बावरी निवासी खुंजा तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

-वादी

बनाम

1. मेवाराम | पिसरान स्व. जोराराम जाति बावरी निवासी खुंजा,
2. मनीराम | तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

पिसरान स्व. जोराराम जाति बावरी निवासी खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

3. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

उपस्थितः

1. श्री अनिल कुमार शर्मा-अधिवक्ता-वादी
2. श्री प्रदीप मोहन भाटी-अधिवक्ता-प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-:निर्णय:-

सत्यमेव जयते

दिनांकः 25.2.2019

Web Copy - Not Official

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम चक 2 जेआरके के खाता संख्या 43/37 प नं. 105/248 (38) कि नं. 6 ता 10, 16/1, 20-21 कुल 1.796 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है जो कि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसका बंटवारा वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा कर रखा है व उसी अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण की बहन लिछमा ने अपना हक हिस्सा जरिये त्याग पत्र वादी एवं प्रतिवादी को ब.हि.ब. त्याग कर रखा है जिसका नामान्तरण दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जा चुका है, कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 4 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग-अलग कायम किया जावे।

...2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

3

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये जो बाद समन हाजिर अदालत आकर वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में राजीनामा लिखत कर न्यायालय में प्रस्तुत किया और मुताबिक राजीनामा ही डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट प्रस्तुत हुआ जो कि शामिल मिसल किया गया। बहस वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की सुनी गई जिसमें दौराने बहस वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

-:आदेशः-

अतः वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी नानकराम को चक 2 जेआरके प नं. 105/248 (38) कि नं. 8/.253, 9/.127, 20/.076, 21/.126 हैक्टेयर कुल 0.582 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर, इसी अनुसार खाता अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 मेवाराम को प नं. 105/248 (38) कि नं. 6/.253 मय गै मु खाला, 7/.253, 16/.126 कुल 0.626 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर, इसी अनुसार खाता अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम को प नं. 105/248 (38) कि नं. 9/.126, 10/.253, 20/.076, 21/.127 कुल 0.582 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर, इसी अनुसार खाता अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि उक्त भूमि पर बैंक रहन है तो ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित आर. ए. एस.

वाद संख्या : 387 /2018

नानकराम पुत्र स्व. जोराराम जाति बावरी निवासी खुंजा तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान

-वादी

बनाम

1. मेवाराम | पिसरान स्व. जोराराम जाति बावरी निवासी
2. मनीराम | खुंजा, तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान
3. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकसीम

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस. के समक्ष अभिभाषक वादी-श्री अनिल कुमार शर्मा की उपस्थिति में निर्णिणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी नानकराम को चक 2 जेआरके प नं. 105/248 (38) कि नं. 8/.253, 9/.127, 20/.076, 21/.126 हैक्टेयर कुल 0.582 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर, इसी अनुसार खाता अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 मेवाराम को प नं. 105/248 (38) कि नं. 6/.253 मय गै मु खाला, 7/.253, 16/.126 कुल 0.626 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित कर, इसी अनुसार खाता अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम को प नं. 105/248 (38) कि नं. 9/.126, 10/.253, 20/.076, 21/.127 कुल 0.582 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि उक्त भूमि पर बैंक रहन है तो ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

आज दिनांक 25.2.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षरों एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner